ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-1* Issue-9* December- 2016
Anthology : The Research

वृद्धों की सामाजिक स्थिति एवं समस्याएं (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

अन्जू
सहायक आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

सारांश

हाल के दशकों में जहॉ एक ओर भारत में वृद्धों की जनसंख्या बढ़ी है वही दूसरी ओर नये प्रकार के मूल्य एवं सम्बंधों के प्रतिमान उभरे हैं। पश्चिम की भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति से पूरा समाज प्रभावित हुआ है जिसमें परिवार प्रमुख है समय के साथ संयुक्त परिवार में बिखराव व एकल परिवारों के उदय ने बुजुर्गों में एक प्रकार की रिक्तता पैदा करना शुरू कर दिया है।

मुख्य शब्द : वृद्धजन, उपभोक्तावादी संस्कृति, आधुनिकीकरण।

प्रस्तावना

प्राचीन काल में ही भारतीय परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में मान्य रहा है, जो कि अपने सदस्यों को सामाजिक आर्थिक एवं भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम रहा है। परम्परागत संयुक्त परिवारों में वृद्धजनों को पर्याप्त सुरक्षा, वरिष्ठता की महत्ता तथा पारिवारिक संरचना में वृद्धों को उत्तम स्थान प्राप्त था। समाजीकरण की प्रक्रिया में भी बालको एवं युवा वर्ग को शिक्षा देने का कार्य भी बुजुर्ग व्यक्ति करते थे, साथ ही उनके ज्ञान एवं अनुभव का भी लाभ उठता हैं धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराओं को हस्तान्तरण भी बुजुर्गो, के द्वारा ही नयी पीढ़ी को दिया जाता था। समय के साथ साथ संयुक्त परिवारों के बिखराव व एकल परिवारों के उदय ने बुजुर्गो में एक प्रकार की रिक्तता पैदा करना शुरू कर दिया हैं बुजुर्गों के मामले में समस्या केवल उनके लालन–पालन की या उनके लिये गुजारा भत्ता सुनिश्चित करने तक ही सीमित नही है बल्कि उनके स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिये सस्थागंत उपाय करने के अलावा उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने और उससे भी बढ़कर बुढ़ापे में भी उन्हें सक्रिय बनाये रखने और उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाये रखने की है।

भारत में भी अच्छी चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्यान्न और पोषण की समुचित उपलब्धता और तेजी से होते आर्थिक सुदृढ़ीकरण ने देशवासियों की जीवन प्रत्याशा को तुलनात्मक रूप से काफी बढ़ा दिया है। जिसके कारण पिछले चार–पांच दशकों में भारत में भी बुजुर्गों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई हैं ''सेन्टर फॉर सोशल रिसर्च'' की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गो की संख्या 9 करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान है। 2011 तक देश में 11 करोड़ 26 लाख वृद्ध होंगे। 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या मात्र एक करोड़ 95 लाख थी। जो कुल आबादी का 5.41 प्रतिशत हिस्सा मात्र थी। वर्तमान में विश्व में वृद्ध नागरिकों की संख्या 60 करोड़ के करीब हैं जो वर्ष 2021 तक 100 करोड़ तक पहुॅच जाने की आशा है।

वर्तमान जनसाख्यिंकी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण विश्व में बुजुर्ग पुरूषों की गणना में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या अधिक है। भारत में लोगों की औसत आयु 100 साल पहले जहॉ करीब 25 वर्ष थी वह अब बढ़कर करीब 65 वर्ष हो गई और मृत्युदर प्रति हजार में 25 से घटकर 8 रह गयी है। जिसके फलस्वरूप वर्तमान मे प्रत्येक 12 भारतीयों के पीछे के एक वृद्धजन का अनुपात हो गया है। वृद्धों की जनसंख्या के सन्दर्भ मे भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। यहॉ 80 लाख लोग 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है। करीब 2.9 करोड़ बुजुर्ग लोग 70 वर्ष से उपर की आयु के है। बदलता हुआ परिवारिक संरचना तथा सामाजिक परिवेश वृद्धों के जीवन के जीवन को कठिन बनाता जा रहा है। भारत सहित पूरे विश्व मे अक्टूबर को ''वृद्धजन दिवस'' मनाया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत लेख में वृद्धजनों की स्थिति का समाज शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

वृद्धजनों की समस्याएं

60 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वृद्ध के रूप मे जाना जाता है। इस अवस्था के लोग स्वयं को आज की परिस्थितियों मे परिवार एवं समाज द्वारा उपेक्षित महसूस करते है। वर्तमान समय मे नगरीकरण, औधोगीकरण, आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने परिवार की संरचना एवं प्रकार्य को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। वृद्धावस्था की सर्व प्रमुख समस्या अलगाव या अकेलेपन की है। जिसमें वह यह अनुभव करता है कि उसका जीवन सामान्य जीवन से भिन्न है जिसमें उसे अलग या अकेला रहना अपरिहार्य है। वृद्धों के अलगाव के प्रमुख कारण अपने संगे सम्बन्धियों की उदासीनता, लोगों पर आश्रितता, शारीरिक अक्षमता या असमर्थता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्थिति असहज एवं असहाय करती है तथा उन्हें नकरात्मक वृद्धावस्था की स्थिति में ले जाती हैं पीढ़ी अन्तराल में युवा एवं नवीन पीढ़ी की प्रतिक्रिया इसे और कठिन बना देती हैं वृद्धों में उपार्जन को लेकर बढ़ती हुई असमर्थता ने अत्यन्त गंभीर समस्या को जन्म दिया है।

चार्ल्स बेकर के अनुसार वृद्धावस्था व्यक्ति के उन परिवर्तनों का घोतक है जो समय के परागमन का परिणाम होता है। ये परिवर्तन दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक हो सकते हैं।[2]

स्टिगलिर्ज के अनुसार वृद्धावस्था व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का समय तत्व है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है और इसमें व्यक्ति के शारीरिक गठन का विशेष योगदान होता है।[3]

डबलिन के अनुसार वृद्धावस्था वे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन है जो जीवन काल के मुख्य भाग के व्यतीत हो जाने के बाद घटित होते है। इस प्रकार वृद्धावस्था का आगमन वस्तुतः जीवन के सर्वाधिक गतिशील एवं क्षमतापूर्ण काल के पश्चात क्रमशः आयु वृद्धि के साथ–साथ होते शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का परिणाम है।[4]

सरकार द्वारा वृद्धों की पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सी0आर0पी0सी0) तथा प्रतिपालन एवं निर्वाह अधिनियम (एडाप्शन एण्ड मेटीनेन्स एक्ट) में भी कुछ वर्ष पहले ही आवश्यक संशोधन करते हुए संतान को वृद्ध माता–पिता के भरण–पोषण का उत्तरदायित्व उठाने के लिये कानूनी रूप से बाध्य किया गया है जिससे बुजुर्गों की वृद्धावस्था में भरण–पोषण का समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सकें।

पीढ़ीगत अन्तराल हमेशा युवा एवं वृद्धों के मध्य दृष्टिकोण या समझ मे अन्तर का है। पीढ़ीगत अन्तराल हमेशा रहा है किन्तु वर्तमान में यह विस्फोटक स्थिति में पहुॅच गया है। जीवन में मूल्य एवं मूल्य एवं प्रतिमानों में वृहत परिवर्तन हुए हैं आज व्यक्ति अपने मनमुताबिक जीवनयापन करना चाहता है।

वरिष्ठजनों की प्रमुख योजनाएं[5]

क्र0 सं0	प्राविधान/कार्यक्रम	वर्ष	उद्देश्य
1	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41	1950	राज्य द्वारा बुलावा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह प्रभाव की दशाओं में लोक सहायता प्रदान करने का प्रबन्ध किया जाना।
2	एडोप्शन एण्ड मेन्टीनेंस एक्ट की धारा 20	1956	वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग किये जा सकने के प्रावधान निर्धारित करना।
3	क्रिमिनल प्रेसीजर कोड की धारा 125	1973	बच्चो द्वारा अपने माता–पिता को भरण–पोषण दिये जाने की बाध्यता का निर्धारण करना।
4	वृद्धो हेतु समन्वित कार्यक्रम	1986	वृद्धों के कल्यावार्थ विविध सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सेवी संगठनों को लागत का 90 प्रतिशत आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना।
5	वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय परिषद	1997	वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु नीति तैयार करने तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन आदि पर सरकार को सलाह देना।
6.	वृद्धों हेतु राष्ट्रीय नीति	1999	वरिष्ठजनों के प्रति परिवार, समाज व सरकार के योगदान व उत्तरदायित्व को दिशा प्रदान करना।
7.	अन्नपूर्णा योजना	2001	निराश्रित वृद्धों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
8.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	2004	पोस्ट आफिस व बैंकों के माध्यम सें वृद्ध लोगों को उनकी बचत पर एक निश्चित रिर्टन देकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
9	रिवर्स मोर्टगेज योजना	2007	60 वर्ष व इससे अधिक आयु के वरि0 जनों को उनके आवास को बन्धक बनाकर प्रतिमाह समानुपातिक रूप से आजीवन धनराशि उपलब्ध कराना।
10	मता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम	2007	बच्चों द्वारा माता–पिता व वरिष्ठजनों को उनकी देखभाल व संरक्षण के लिये कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाना।
11	वरिष्ठ मेडीक्लेम योजना	2008	60 से 90 वर्ष तक के वृद्धजनों के लिये विशिष्ट मेडीक्लेम की

			बीमा सुविधा प्रदान करना।
12	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2008	65 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी गरीब वृद्धों को नियमित मासिक पेंशन देकर आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
13	विशिष्ट नूतन सुविधाएं	2008	आयकर की न्यूनतम सीमा में छूट मेडीक्लेम पर दिये गये प्रीमियम पर आयकर में छूट, रेलवे/सरकारी बसों/वायु सेवाओं में किराये में छूट, निःशुल्क/रियायटी दरों पर चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकों में जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज की सुविधाऍ, निःशुल्क/रियायती दरों पर आवासीय सुविधाएं आदि।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रमुख प्रावधान

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा गया है।
2. वरिष्ठ नागरिकों में वे आभिभावक भी शामिल किये गये है जो अपना गुजारा करने में असमर्थ है। अधिनियम में की व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति भी अपने वयस्क सन्तान पर भरण–पोषण का दावा कर सकते हैं।
3. इस अधिनियम में कल्याण से आशय वरिष्ठ नागरिकों के लिये भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल तथा मनोरंजन केन्द्रों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने से लगाया गया है।
4. अधिनियम के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने–अपने राज्य मे प्रत्येक सब–डिवीजन के लिये एक या अधिक न्यायाधिकरण (कोर्ट) की आवश्यक रूप से स्थापना किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।
5. राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार अपने–अपने राज्यों में वृद्धाश्रमों की स्थापना और रख–रखाव सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।
6. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा यथासंभव सरकारी अस्पतालों या उसके द्वारा वित्तीय नागरिकों के लिये बिस्तर की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के प्रावधान भी किये गये है।
7. अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिये लाइन रखने के लिये दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु व्यवस्था रखी गई है तथा उनके उपचार की विशेष व्यवस्था के निर्धारण हेतु भी प्रावधान रखे गये है।[6]

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 1992 में वृद्धों की सहायता देने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था गृह स्थापित करने वालेः वृद्धों को सुविधाऍ प्रदान करने वाले तथा वृद्धों के लिये सचल चिकित्सालय चलाने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता देनी आरम्भ की गई। इसके अन्तर्गत 'डे केयर सेन्टर', वृद्धावस्था गृह, वृद्ध जन देख रेख केन्द्र तथा सचल चिकित्सालय स्थापित किये जा चुके है। वर्ष 2007–08 के अनुमानित आंकड़ों (सरकारी गैर सरकारी) के आधार पर वृद्धाश्रमों की संख्या एक हजार से अधिक है। वृद्धों के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों में निम्न प्रकार है–

1. वृद्धावस्था गृह
2. वृद्धजन देख–रेख केन्द्र
3. गैर संस्थात्मक सेवाऍ

निष्कर्ष

संयुक्त परिवार में वृद्धजनों को पर्याप्त सुरक्षा तथा वरिष्ठता की महत्ता के कारण पारिवारिक शक्ति संरचना में वृद्धों को उत्तम स्थान प्राप्त था। आज पश्चिम की भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति ने नये प्रकार के मूल्य एवं सम्बन्धों के प्रतिमान उभारे है। इस परिवर्तन ने वृद्धजनों की स्थिति में तेजी से परिवर्तन किया है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि देश में बुजुर्गों की संख्या निरन्तर बढ़ने के कारण सरकार और समाज की तरफ से भी व्यापक प्रयासों व बड़े पैमाने पर उपयोगी कार्यक्रमों और योजनाओं को संचालित करने तथा भली प्रकार क्रियान्वित किये जाने की महती आवश्यकता है। केवल राज्य सरकारों की तरफ से अधिक संसाधन लगाये जाने के अलावा अमली तंत्र को अधिक कुशल बनाने और समाज की अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। साथ ही बुजुर्गों के केवल लालन पालन या गुजारा भत्ता तक ही नहीं बल्कि उनकी भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करने के सक्रिय प्रयास करना होगा तथा उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *उमेश चन्द्र अग्रवाल, 'बढ़ते बुजुर्ग घटती सुरक्षा कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2009*
2. *बेकर, चार्ल्स 'फिजिकल फन्कशनिंग ऑफ ओल्डर पीपुल टू वर्डस वेटर अण्डर स्टैडिंग ऑफ द एजिंगः न्यूर्याक 1959*
3. *स्टिगाल्टिस, ई0जे0, 'द पर्सनल चैलेन्ज आफ ऐजिंगः बयोलॉजिकल चैलेन्ज एण्ड मेटेंनन्स आफ हेल्थ*
4. *डबलिन लुई ' द फैक्टस ऑफ लाइफ' मैकमिलन न्यूर्याक, 1951*
5. *उमेश चन्द्र अग्रवाल, 'बढ़ते बुजुर्ग घटती सुरक्षा कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2009*
6. *सुचिता पाण्डेय' ग्रामीण परिवार एवं वृद्धजन एक समाजशास्त्रीय विवेचन 'राधाकमल मुकर्जी' जनवरी – जून 2016*